महिला समाख्या सोसायटी (कर्नाटक)

बंगलौर

पंजीकरण सं: 728/88-89, बंगलौर दिनांक: 4-2-89

वार्षिक रिपोर्ट : 1991-92

सुश्री श्रीलता बाटलीवाला

राज्य कार्यक्रम निर्देशक

महिला समाख्या सोसायटी, कर्नाटक

कार्यालय: 276, सेकेंड क्रास,
कैंब्रिज लेआउट,
बंगलौर - 560 008.

राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यालय की भूमिका व कार्यकलाप 1991-92

दो नये ज़िलों में कार्यक्रम के विस्तार के कार्य में निभायी गयी प्रमुख भूमिका, प्रस्तुत वर्ष में राज्य कार्यक्रम कार्यालय का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है। अप्रैल 1991 में, राज्य कार्यक्रम कार्यालय से श्रीमती उमा कुलकर्णी व बीजापुर, डी आइ यू के ज़िला कार्यक्रम समन्वयकर्ता श्रीमती निर्मला शिरगुप्पी ने रायचूर व गुलबर्गा ज़िलों का अन्वेषणात्मक दौरा किया। नये क्षेत्रों में कार्यक्रम के प्रवर्तन के लिए अपेक्षित संसाधनों का पता लगाया गया और दोनों ज़िलों में स्वयंसेवक एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों, महिला कार्यकर्ता, मंडल सदस्यों, परिषत्सदस्यों, स्थानीय चिकित्सकों व समाज सेवक जैसे कई व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया गया।

राज्य कार्यालय के कार्मिकों ने संभाव्य ज़िला समन्वयकर्ताओं व संसाधन व्यक्तियों की पहचान में सहायता दी। नये ज़िलों के लिए सहयोगिनियों के चयन को अन्तिम रूप देने के लिए तीन स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य कार्यालय से श्रीमती उमा कुलकर्णी और अन्य ज़िलों से समन्वयकर्ता व संसाधन व्यक्तियों से गठित प्रशिक्षण दल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीन स्तरों का समन्वय कार्य संभाला।

यह निर्णय लिया गया कि नये ज़िलों में जाथा (महिलाओं की स्थिति व शिक्षा की भूमिका को चित्रित करने वाले गली के नाटकों को दिखाकर) द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। राज्य कार्यालय की श्रीमती उमा कुलकर्णी जाथा की प्रायोजना व कार्यान्वयन में प्रमुख व्यक्तियों में थीं। प्रारंभिक अवधि में उचित सदस्य की अनुपलब्धता की वजह से ज़िला कार्यक्रम समन्वयकर्ता के रूप में श्रीमती उमा कुलकर्णी की अस्थायी रूप से तैनाती की गयी।

आंध्र प्रदेश में महिला दलों, अराजपत्रित अधिकारियों व सरकारी अधिकारियों को महिला समाख्या कार्यक्रम का परिचय देने के लिए प्रारंभिक बैठकों में निदेशक ने भाग लिया।

क्षमता सुधारने की प्रक्रिया के रूप में श्रीमती गौरम्मा, गरबार्शकाती ने तमिलनाडु में दीनबन्धु प्रायोजना में, समुदाय स्वास्थ्य व परंपरागत औषधियों पर जुलाई और अगस्त 1991 में दो महीनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

5. इण्डो-डच पुनरीक्षण मिशन ने 9.10.91 से 15.10.91 तक कार्यक्रम के वार्षिक मूल्यांकन का काम किया । राज्य कार्यालय ने इस काम में उनको सहायता की । मिशन के सदस्यों ने हमारे अधिगम, हमारी योजनाएँ, हमारे लक्ष्य व हमारी दृष्टि की चर्चा करते हुए अपना पहला दिन राज्य कार्यालय में बिताया । मिशन के सदस्यों ने दलों से चर्चा की, गाँवों का दौरा किया और संघ की महिलाओं से विचार विमर्श किया और संघ के कुछ भवनों, शिशु सदनों व शिक्षण वर्गों का दौरा किया ।

वापस आकर उन्होंने राज्य कार्यालय में और दो दिन बिताये । इस अवधि के दौरान उन्होंने कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं, जैसे, स्टाफ प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग व दस्तावेज़ीकरण, वित्त और प्रशासन, के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की । उन्होंने अन्य संगठनों से कई संसाधन व्यक्तियों से भेंट की जो कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं ।

6. दिसंबर 1991 में "मानव संसाधन विकास में महिला संस्थाओं को समाविष्ट करने के मार्ग व उपाय पर बेंगलूर में यूनेस्को दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ । बंगलादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया व फिलिप्पीन्स से करीब 15 सहभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया । सहभागियों के एक दल ने राज्य कार्यालय में एक दिन बिताया जिसके दौरान उन्होंने महिला समाख्या के दर्शन व योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की । उनमें से कई सहभागियों ने अपने देश में उसी तरीके के प्रयोग की कोशिश की है ।

मैसूर से आयी संघ की महिलाओं का सत्र इस सम्मेलन की विलक्षण विशेषता थी । इन महिलाओ ने मानव संसाधन विकास में महिलाओं की संस्थाओं का मूल्यांकन काफी व्यंग्यात्मक और प्रभावपूर्ण ढंग से किया ।

7. कर्नाटक कार्यशाला: संपूर्ण महिला समाख्या दल ने बौद्धिक सैर के साथ नव वर्ष शुरू किया - कर्नाटक कार्यशाला के आठ उत्तेजक दिन । यह राज्य कार्यालय के द्वारा आयोजित ऐसा पहला कार्यक्रम है । इस कार्यशाला के दौरान कर्नाटक के प्रमुख बुद्धिजीवी, पण्डित व कार्यकर्ताओं ने हमारे और कुछ अन्य संस्थाओं के चुने गये सदस्यों के साथ अपना ज्ञान, सूक्ष्म दृष्टि और अनुभव बाँट लिया ।

राज्य के स्वतंत्रतापूर्व व स्वातंत्रयोत्तर इतिहास से लेकर हमने भूमि से संबंधित झगड़े, पर्यावरण की समस्याएँ, वर्ग और जातिवाद, शिक्षा, रंगमंच, फिल्म और पत्रकारिता की प्रवृत्तियाँ, आर्थिक विकास के मामले, महिलाओं के आन्दोलन, धर्म और सांप्रदायिकता और ग्रामीण परंपराएँ और संस्कृति जैसे विभिन्न चुनौती देनेवाले क्षेत्रों पर दृष्टि डाली गयी। दो नाटकीय प्रस्तुतीकरण - याने 'केरगे हरा' [सूखा के समय बहू का बलिदान देने की पद्धति के बारे में] और 'मंतेस्वामी कथा प्रसंग' [धार्मिक सिद्धान्त पर व्यंग्य]-लंबे अर्से तक लोगों की याद में ताजा रहेंगे ।

हमारे मन में यह डर था कि यदि दल, हर सत्र में समझाये गये हमारे विचार और जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता रखता है । बाद में पता लगा कि हमारा यह डर आधारहीन है । सहभागी, तीन घंटे के सत्र के बाद भी पुन: दोहराने की माँग कर रहे थे । संसाधन व्यक्तियों की योग्यता, हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने और हमारी जिज्ञासा को उजागर करने की उनकी क्षमता सचमुच प्रशंसनीय है ।

हमेशा की तरह सहयोगिनियों की माँग है कि हर सत्र में चर्चित विषय के लिए एक-एक अध्याय आबंटित करते हुए एक विस्तृत दस्तावेज़ तैयार करके उनको दिया जाए ताकि अनुवर्तन कार्य व क्षेत्र में सामग्री के उपयोग के लिए वह उनका काम आये । कई संसाधन व्यक्ति स्वयं लेख लिखने को सहमत हुए हैं जबकि अन्य अध्याय, ली गयी टिप्पणी से और अतिरिक्त शोध कार्य द्वारा तैयार किये जाएँगे । क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए यह स्रोत किताब होगा ।

कार्यशाला में यह माँग भी की गयी कि जिलों में विस्तृत, विषय वार संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएँ ताकि और सहयोगिनियाँ और संघ की महिलाएँ उनमें भाग ले सकें और विषय पर और गहराई व विशिष्टता से चर्चा की जा सके ।

निष्कर्ष:

कर्नाटक में राज्य कार्यालय की भूमिका प्रधान कार्यालय से एक ऐसी समर्थन इकाई के रूप में परिवर्तित हुई है जो मार्गदर्शन और सहायता देता है । हमारे सम्मेलन में सहयोगिनियों द्वारा उक्त निम्नलिखित शब्दों से यह परिवर्तन स्पष्ट होता है- "हम आपको प्रधान कार्यालय कहते थे, अब आपको समर्थन कार्यालय कहेंगे ।" हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 1992 में हमारे कार्यक्रम ने नयी दिशा प्राप्त की है जबकि विकेन्द्रीकृत, स्वायत्त प्रायोजना व निर्णय लेना कार्यात्मक तथ्य बन गया।

महिला समैक्य समिति (कर्नाटक)
वर्ष 1991-92 के लिए कार्यकलापों की रिपोर्ट

बिदर जिला की रिपोर्ट

संघ के कार्यकलाप:

इस अवधि में महिलाएँ प्रमुखत: अपने संघों के पंजीकरण, संयुक्त खाते खोलना व संघ के लिए मकान बनाने में लगी हुई हैं। जिन संघों के लिए संघ का मानदेय प्राप्त हुआ है, वे इस बात पर विचार विमर्श करते रहे हैं कि इस धन का उपयोग कैसे किया जाए। कुछ क्षेत्रों में महिलाएँ अपना व्यक्तिगत संसाधन जुटाकर संघ के लिए बकरियाँ खरीदने की संभावना पर विचार कर रही हैं। कुछ महिलाओं का विचार है कि कुछ विशेष कार्य प्रारंभ करने के लिए संघ की निधि को अलग रखना चाहिए। निर्णय कुछ भी हो सभी सदस्य अपनी सहयोगिनियों सहित निर्णय पर जल्दीबाजी के बिना गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। उनका विचार है कि चूँकि यह महत्वपूर्ण निर्णय है, जल्दी बाजी में या पूरे दल की सहमति के बिना निर्णय पर पहुँचा नहीं जाना चाहिए।

संघ की चर्चाएँ :

जिन सदस्यों ने जिले में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं व बैठकों में भाग लिया वे संघ की अन्य महिलाओं के साथ अपना अनुभव और ज्ञान बाँट रही हैं। जहाँ कार्यशाला के विषय या प्रणाली को समझने में कोई दिक्कत हो तो सहभागी संघ की अन्य महिलाओं की उपस्थिति में, सहयोगिनियों से चर्चा करके अपने संदेहों को दूर कर लेती हैं। उदाहरणार्थ संघ की एक प्रतिनिधि ने बिदर जिला संसाधन इकाई द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस संबंध में अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करते समय पूरी कार्यशाला की प्रासंगिकता पर संदेह उठाया। कार्यशाला का विषय था "त्योहार"। सहयोगिनी ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार त्योहार लोगों को साथ लाता है और उनमें खुशी और उत्साह पैदा करता है- इसपर विवेचना करना कार्यशाला का लक्ष्य था ताकि अन्य अवसरों पर इस बात पर जिक्र ध्यानपूर्वक किया जाए।

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान:

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान संघ की सभी बैठकों में चर्चित मुख्य विषय हैं। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से पैदा होने वाले रोगों के संबंध में चर्चा की जाती है और महिलाओं ने अपना स्वास्थ्य, पर्यावरण अपने बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के प्रभावपूर्ण तरीकों को पहचान लिया है। यद्यपि सहयोगिनियाँ जानती हैं कि जाति की समस्या समाज की है, वे इस प्रवृत्ति का जोरदार खंडन करती

हैं । वे बार-बार कहती रहती हैं "जहाँ महिला दूसरी महिला का आदर नहीं कर सकती, तो संघ के निर्माण का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता ।" वे महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रही हैं । उनका यह प्रयास व्यर्थ साबित नहीं हुआ है । सहयोगिनियाँ नये गाँवों का दौरा करने और महिलाओं को एकत्रित करने के प्रयास में लगी हुई हैं ।

स्वास्थ्य की समस्याएँ, स्वास्थ्य विज्ञान, महिलाओं की स्थिति आदि की चर्चा बैठकों में नियमित रूप से होती है । इसके अलावा स्वास्थ्य, "भीमा" "सोल्लु", "हेळु-केळु", "नम्म-निम्म मद्दु" जैसे सूचना पत्रों का मुख्य विषय हो गया है । चर्चा का विषय जो भी हो, चर्चा के संदर्भ में आनेवाले नये शब्दों, धारणाओं और विचारों का विश्लेषण किया जाता है, उनका अर्थ समझा जाता है और इससे महिलाओं के ज्ञान में वृद्धि होती है । चूँकि सहयोगिनियाँ इस प्रक्रिया को प्रमुखता देती हैं, वे नये शब्दों, चर्चा के लिए नयी धारणा को पहचानने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं । उदाहरणार्थ "ग्रेट वाल आफ चैना," "मस्तिष्क और मस्तिष्क-ज्वर", "बिजली", "सुई", "भूत-प्रेत और पिशाच", "आँखें", "अव-परीक्षा", "आग", "झगड़े", "नमक बनाना" आदि, असंख्य धारणाओं व शब्दों ऐसे हैं जिनकी चर्चा कई दृष्टियों से की गयी है ।

"मगु दोड्डवळादळु" पुस्तिका, अधिकांश संघों में चर्चा का विषय है । यद्यपि महिलाएँ शुरू-शुरू में लज्जा और निर्विकारता व्यक्त कर रही थीं, बाद में उन्होंने उत्सुकता व रुचि दिखायी । इस किताब के जरिए सहयोगिनियाँ रज:स्राव के दौरान महिलाओं के साथ घर में और बाहर जो क्रूर व्यवहार किया जाता है, उसकी चर्चा करने का प्रयास कर रही हैं । इसी संदर्भ में सहयोगिनियाँ यह भी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि पहले हमारा समाज मातृ सत्तात्मक ही था और किस प्रकार बाद में पितृ सत्तात्मक में बदल गया और नारी की प्रतिष्ठा का अपकर्ष होने लगा ।

संघ के लिए आवास:

महिलाओं के विचारानुसार उन्हें अपने लिए जगह की जरूरत है जहाँ वे बैठकें बुला सकें, संगीत, शिक्षण व अन्य प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर ले सकें । इस संबंध में उचित सामग्री/सूचना के लिए वे सहयोगिनियों का मार्गदर्शन ले रही हैं और इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं ।

संघ की निधियाँ:

संघ की हर महिला प्रतिमहीना एक या दो रुपये बचाती है । संघ की निधियाँ

को बढाने की दृष्टि से यह काम किया जा रहा है । संघ के सदस्यों के बीच अपनापन व एकता की भावना पैदा करना भी इस बचत योजना का लक्ष्य है । यह धारणा महिलाओं के बीच प्रशंसा पाने लगी है । 40 से अधिक संघो में यह काम किया जा रहा है ।

चूँकि निधि प्रगतिशील व सक्षम संघों को ही दी जाती है, महिलाएँ अपने संघ को मज़बूत व सक्षम बनाने को उत्सुक हैं ।

बैठकें और कार्यशाला:

मण्डल की बैठकों में सहभागिता:

कई गाँवों में महिलाएँ नियमित रूप से मण्डल पंचायत की बैठकों में भाग ले रही हैं । मण्डल द्वारा परिचालित विभिन्न योजनाओं की सुविधाओं को समझने का प्रयास करने के अलावा महिलाएँ संघ के मकान के लिए भूमि, निर्माण के लिए सहायता आदि की माँग कर रही हैं ।

साक्षरता आन्दोलन:

बिदर ज़िले में इस साल पूर्ण साक्षरता मिशान का प्रारंभ किया गया है । चूँकि महिला साक्षरता, महिला समैक्य कार्यक्रम की बुनियाद है, हमारे दल ने इस योजना में भाग लेने का निर्णय किया है । हमारा विचार है कि इस आन्दोलन में हमारी सहभागिता से, बिदर ज़िले में और 100 गाँवों को सम्मिलित करने के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सुविधा होगी ।

गाइड प्रशिक्षक प्रशिक्षण:

4 मई से 14 मई तक बिदर में हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, शिशु देखरेख में लगे कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षकों ने भाग लिया । सहभागियों को स्काउट्स व गाइड्स आन्दोलन के बारे में सूचना दी गयी और सहभागियों ने सभी कार्यों में अनुशासन और सुव्यवस्थिता के महत्व की जानकारी प्राप्त की । एक सहभागी सुन्दरम्मा के शब्दों में "यदि हमें अपने बचपन में यह मौका मिल गया होता, तो हमारा बचपन दूसरे ही ढंग का होता । मगर अब हम ज़रूर यह तो देख सकते हैं कि हमारी संतान का बचपन खुशी से भरपूर है ।"

पौष्टिक आहार पर कार्यशाला:

27 जून को कस्तूर्बा उद्योगस्थ महिलेयरावसाथी गृह में उक्त विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । शिशु देखरेख में लगे सभी

कार्यकर्ताओं ने भाग लिया । हमारे दल की श्रीमती पदमा और श्रीमती उमा महेश्वरी ने यह कार्यशाला चलायी । कार्यशाला में शिशु, गर्भवती व दूध पिलानेवाली माँओं को विशेष पौष्णिक आहार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया और यह भी स्पष्ट किया गया कि हमारे दैनिक आहार के पौष्णिक मूल्य को कैसे बढाया जा सकता है । छोटे बच्चों के लिए पौष्णिक आहार तैयार करने पर प्रदर्शनात्मक पाक-विधि सत्र भी चलाये गये ।

साक्षरता:

साक्षरता उन असंख्य कार्यों में एक है जिसमें महिलाएँ अत्यन्त रुचि दिखाती हैं । हर संघ में कुछ-न-कुछ साक्षरता आधारित कार्य होता रहता है । बिना दूसरों की मदद के, आवेदन लिखने की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना इन साक्षरता-कार्यों का लक्ष्य है । इसके अलावा 30 संघों में नियमित रूप से प्रौढ शिक्षा के तहत कक्षाएँ चालू हैं ।

जिला संसाधन दल की बैठकें:

संसाधन दल की बैठकें 16 मई व 18 जुलाई को हुईं । पिछले महीनों में काम की प्रगति के संबंध में सदस्यों से चर्चा करते हुए आगामी महीनों के लिए उनके सुझाव स्वीकार किये गये । बलात्कार मामले के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी और सदस्यों ने आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक सभी कागजों और अन्य सूचनाएँ एकत्रित करने में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया । उन्होंने यथाशीघ्र आरोप-पत्र फाइल करने में अपना सहयोग दिया और इस संबंध में उप आयुक्त से मिलने को तैयार थीं ।

सहयोगिनियों की बैठकें:

इस अवधि के दौरान उनकी बैठकों में, उनके द्वारा किये गये ग्राम-स्तरीय मूल्यांकन पर विचार किया गया । दल ने अपने कार्य के ढंग में परिवर्तन और मूल्यांकन की उपलब्धियों के असर को पहचानने का प्रयत्न किया । इस प्रक्रिया द्वारा हर कार्यकर्ता को अपनी प्रगति व अपनी कमियों को पहचानने का अवसर मिला ।

शिशु पालन कार्यकर्ताओं की बैठक:

28 जुलाई को हुई इस बैठक में सभी संबंधित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया । इस बात का पता लगाने की कोशिश की गयी एक श्रीमती इन्दिरा स्वामिनाथन द्वारा सिखायी गयी बातें-जैसे कई गाने-किस हद तक बच्चों तक पहुँची हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लायी जाती हैं । यह देखा गया कि कार्यकर्ता कुछ गानों का स्वाँग कर रहे थे । यह भी देखा गया कि उन्होंने गानों के ऐसे कुछ शब्दों को चुपचाप बदल लिया था जिनका उच्चारण उन्हें मुश्किल लग

रहा था ।

तालुक स्तरीय बैठकें:

जुलाई 14 को बादलगाँव में संघ की कुछ महिलाओं, सहायिकाओं, शिक्षकों, शिशुसदन के कार्यकर्ताओं व सहयोगिनियों की एक बैठक बुलायी गयी । संघों के अशक्त हो जाने और टूट जाने के कारण, साक्षरता शिक्षकों की जिम्मेदारी आदि इस बैठक में चर्चित मुख्य विषय थे ।

स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर:

सितंबर, नवंबर व दिसंबर 1991 में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर हुए । परंपरागत दवाइयों के संबंध में महिलाओं की जानकारी का स्तर, अन्य परंपरागत दवाइयों के प्रकार से उन्हें परिचित कराना, जडीबूटियों से बनी औषधियाँ, उनका महत्व, उनकी उपयोगिता आदि की जानकारी देना शिविर का मुख्य उद्देश्य था । इसके साथ साथ महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयत्न किया गया । शिविर के दौरान विभिन्न जडी-बूटियों पर स्लाइड्स दिखाने के अलावा, आसपास उपलब्ध जडी बूटियों को पहचान कर महिलाओं को प्रदर्शित किया गया । चूँकि यह सूचना महिलाओं को बहुत उपयोगी सिद्ध हुई, गंगम्मा के साथ और एक विस्तृत कार्यक्रम की योजना की गयी है ।

आर्थिक विकास कार्यक्रम पर कार्यशाला:

यह कार्यशाला 28 व 29 दिसंबर को संदाला गाँव में आयोजित की गयी । यह कार्यशाला सहयोगिनियों, संसाधन व्यक्तियों और ज़िला सम्पन्नयकर्ताओं द्वारा चलायी गयी । संघ की निधि के अर्थपूर्ण उपयोग और उससे संबंधित ज़िम्मेदारियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी । महिलाओं को प्रदान की जानेवाली सुविधाओं के प्रकार के बारे में भी उन्हें सूचना दी गयी ।

सहायिकाओं/रात पाठशाला के शिक्षकों/शिशु सदनों के शिक्षकों की बैठकें:

सहायिकाएँ, रात पाठशाला के शिक्षक और शिशु सदनों के शिक्षक अपने कार्यालयीन जीवन के सुखद व दुखद क्षणों को एक दूसरे से बाँटने, अपने संदेहों व कमियों को पहचानने व और प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित रूप से मासिक बैठकें बुलाते हैं। संबंधित तालुकों की सहयोगिनियाँ बैठकों को चलाने में दूसरों की सहायता तभी लेती हैं जब आवश्यकता पडती है ।

बिजापुर जिला रिपोर्ट:

संघ के कार्यकलाप:

देवदासी मामला:

महिती मेला के परिणामस्वरूप, संघों द्वारा देवदासी मामले को तत्परता से लिया जा रहा है । वे पहले संघ की सदस्यता के संबंध में अत्यन्त सावधान रहती थीं, परन्तु अब उन्होंने देवदासियों को अपने संघों में सक्रिय सदस्य बनाने का निर्णय किया है । अप्रैल में एक "जात्रा" होनेवाली थी जिसमें 23 छोटी लडकियों को देवदासी बनाया जानेवाला था । स्थानीय दलित युवकों और पुलीस की सहायता से उन्होंने इस समर्पण समारोह को सफलतापूर्वक रोक दिया । इससे प्रेरित होकर अधिकांश संघों द्वारा देवदासी प्रणाली पर गंभीर चर्चा की जा रही है । कई देवदासियाँ अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हुए इस दिशा में अपना विचार प्रकट करती हैं कि इस प्रथा को क्यों तुरंत रोकना चाहिए। परन्तु कई गाँवों में स्वयं देवदासियाँ इस झगडे का विरोध कर रही हैं ।

सभी तालुकों के संघों में, महिलाएँ देवदासी मामले को कई तरह से उठाने का प्रयत्न कर रही हैं । कुछ मामलों में, जैसे मुक्नापुर संघ के सदयव्वा के मामले में, उनके घर और परिवार में ही ये प्रयत्न चालू हैं । सदयव्वा ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी बडी बहन की पौत्री देवदासी के रूप में समर्पित नहीं की गयी । सदयव्वा ने संघ की बैठक में बताया-"एक सहायिका होकर मैं स्वयं अपने परिवार में ऐसा काम होने देती तो मैं किस काम की ?"

भूमि का मामला:

मुद्दोल तालुक के एक गाँव में सरकार द्वारा छे परिवारों को 18 एकड भूमि मंजूर की गयी । एक स्थानीय व्यापारी से भूमि खरीदी गयी । विक्रेता ने क्रय करार में उल्लिखित 18 एकड के बदले में सिर्फ 12 एकड दिये । अत: हर परिवार को उन्हें पूरे 3 एकड के बदले में 2 एकड ही मिले । संघ की महिलाओं ने इस मामले को उठाने का निर्णय किया । संघ के सदस्यों ने जमखण्डी के सहायक आयुक्त को मामले को प्रस्तुत किया । इसके फलस्वरूप दो परिवारों को दूसरे स्थान पर 6 एकड की भूमि दी गयी । चूँकि यह अकृष्य बंजर भूमि थी, अनुदानग्राहियों द्वारा यह अस्वीकार की गयी और उनकी

माँग थी कि उन्हें मूलत: आबंटित भूमि उन्हें वापस दी जाए । स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें एक समझौता निर्णय दिया कि हर परिवार, उन्हें अब आबंटित दो एकड़ की भूमि के अतिरिक्त बंजर भूमि की एक एकड़ को स्वीकार करे । परन्तु यह निर्णय स्वीकार नहीं किया गया और महिलाओं ने इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया है ।

जो छे महिलाएँ कृष्य भूमि प्राप्त करने के लिए लड रही हैं, उनमें से एक सफल हुई हैं । स्वयं सहायक आयुक्त ने आकर उसे भूमि आबंटित की । चूँकि अन्य पाँच व्यक्तियों की समस्या और जटिल है । वे तुरन्त इसका समाधान नहीं दे सके । परन्तु उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करने का वचन दिया । महिलाएँ अपने प्रयास पर डटी हुई हैं ।

संघ का पंजीकरण:

बिजापुर ज़िला के अधिकांश संघ अपने संघ के पंजीकरण के मामले पर ध्यान दे रहे हैं । 82 संघों ने पंजीकरण की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है व 18 और संघ इस काम में लगे हुए हैं ।

संघ के खाते:

मानदेय प्राप्त करने के लिए इस अवधि के दौरान कई संघों ने संयुक्त खाता खोला है । दो सहायिकाओं और एक सहयोगिनी द्वारा संयुक्त रूप से खाते का परिचालन किया जाता है । बैंक जाने, चेक पर हस्ताक्षर करने और रुपये निकालने का अनुभव संघ की महिलाओं के लिए नया और प्रेरणादायक रहा है । खाता खोलने के लिए आवेदन कैसे देना है, चेक क्या है, पासबुक क्या है, इनका प्रयोग कैसे करना है, रुपये कैसे जमा करना है और कैसे निकालना है और बैंक की पद्धतियों के अन्य पहलुओं के बारे में विचार-विमर्श करके महिलाओं ने काफी-कुछ सीखा । इस जानकारी ने उनमें इतना आत्म विश्वास पैदा किया है कि वे महसूस करती हैं कि वे बिना डर या संकोच के दूसरी संस्थाओं का काम भी निपटा सकती हैं ।

संघ के लिए आवास:

कई संघ बहुत उत्सुकता के साथ अपने संघ के लिए भूमि प्राप्त करने या मकान निर्माण करने में लगे हुए हैं । जहाँ पण्डल पंचायत संघों को सहयोग दे रहा

है, उन जगहों में संघ के लिए भूमि प्राप्त करना आसान काम रहा है । अन्य गाँवों में महिलाओं को तहसीलदार तक जाना पड़ा है । जहाँ भूमि देने का वचन दिया जा चुका है, वहाँ भी हक विलेख प्राप्त करने के लिए संघों को बहुत भाग दौड करना पडता है, क्योंकि हक विलेख के बिना निर्माण के लिए महिला समैक्य अनुदान नहीं दिया जाता । सहयोगिनियों के समर्थन और सहायता के साथ इस काम में लगी हुई महिलाओं का दृढ संकल्प और अथक प्रयास सचमुच सराहनीय है ।

कई जगहों में मकान निर्माण का काम शुरू हो गया है । सहयोगिनियों व ज़िला समन्वयकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद मकान की रूपरेखा बनाना, निर्माण की योजना बनाना, निधि का प्रबन्धन, श्रम व अंशदान का आयोजन करना आदि काम चालू हैं । कुछ जगहों में महिलाएँ मकान की रूपरेखा बनाने के लिए सरकारी अभियंताओं की मदद ले रही हैं । और कुछ जगहों में महिलाओं ने ज़िला दल के सुझावों के साथ स्वयं रूपरेखाएँ बनायी हैं । सात संघों को अपने मण्डल पंचायत से भूमि मिली है और उन्होंने अपने संघ के लिए आवास बना लिया है । और छे संघों के लिए अभी-अभी निर्माण कार्य चालू है । कई गाँवों में आदमियों नेइस काम में महिलाओं का साथ दिया है ।

छोटी बचत:

एक गाँव में महिलाओं ने छोटी बचत योजना शुरू की है । इस योजना को लेकर सदस्यों के बीच झगडा और मनमुटाव पैदा हुआ है । इसलिए सदस्यों द्वारा बचत कार्यक्रमों के प्रबन्धन व प्रयोजन को अच्छी तरह समझने तक उसे रोक रखने का निर्णय किया गया है। सफल योजनाओं में चर्चा का मुख्य विषय यह है कि संघ की बचतों का सदुपयोग कैसे किया जाए । महिलाओं को यह समझाने के लिए कि बचतों की वृद्धि कैसे की जा सकती है, विजापुर में एक इक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

अन्याय के विरुद्ध लडाई:

संघ की महिलाएँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं, विशेषकर घर के अन्दर और बाहर अपने दैनिक जीवन में उन्हें जो अन्याय और अत्याचार का सामना करना पडता है, की चर्चा कर रही हैं और इनसे छुटकारा पाने का प्रयास कर रही हैं । शराबी पति के साथ और अन्य अत्याचार पूर्ण परिस्थितियों में रहनेवाली महिलाओं का जीवन्त उदाहरण लेते हुए महिलाएँ गंभीरतापूर्वक विचार कर रही हैं कि महिलाओं के दैनिक जीवन में आनेवाली इन समस्याओं का मुकाबला कैसे किया जाए । संघ की बैठकों और विचार-विमर्शों में ज्यादातर इसी बात पर चर्चा की जाती है कि महिलाओं की हैसियत और स्थिति में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है । यह दृढ निर्णय लिया गया कि पतियों द्वारा

हिंसापूर्ण व्यवहार किये जाने पर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस से शिकायत दर्ज की जाएगी । इस निर्णय के अनुवर्तन में एक संघ ने ऐसी एक परित्यक्ता नारी के मामले को उठाया जो स्थानीय आदमी द्वारा खूब पीटी गयी थी। संघ ने उसे शिकायत दर्ज करने में मदद की । और यह सुनिश्चित किया कि वह आदमी कैद किया गया और उसे उचित दण्ड दिया गया । कई मामलों में जहाँ पति-पत्नी के बीच प्रबल मनमुटाव पैदा हुआ है, संघ ने हस्तक्षेप करके मामले को निपटाया है ।

आंगनबाडियाँ/बालवाडियाँ:

संघ की महिलाओं ने इस मामले को उठाया है कि स्थानीय आंगनवाडियाँ और बालवाडियाँ सही तरह से काम नहीं कर रही हैं । वे यह भी जानना चाहती हैं कि जहाँ ये सुविधाएँ नहीं हैं, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए । आंगनवाडियाँ/बालवाडियाँ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदण्डों का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिल रहीं हैं । जहाँ मौजूदा विभागों/कार्यक्रमों से ये सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं संघ ने अपना शिशु सदन शुरु करने का निर्णय किया है ।

अस्ट्रओलस मुद्दीबिहाल के होक्रानी गाँव में संघ की बैठक के दौरान सहयोगिनी ने देखा कि एक महिला की आँख लाल थी और सूजी हुई थी उस महिला ने बताया कि स्टव के धुएँ से उसको ऐसी स्थिति हो रही है । अगली बैठक में इस समस्या के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी जिसके दौरान महिलाएँ इससे उन्हें उठनेवाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सामने लायीं । वे धुआँ-रहित स्टव या अस्ट्रओलस से अनभिज्ञ थीं । पास के गाँव अब्बीहला जहाँ ज्यादातर घरों में अस्ट्रओलस है, का दौरा करने के बाद इन महिलाओं ने अपने घर में भी यही स्टव लेने का निर्णय किया ।

पर्यावरण, पानी व संबंधित विषय:

महिलाएँ अपने क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी विषयों व समस्याओं की चर्चा कर रही हैं । "हळु-केळु","सोल्लु", व "नम्म निम्म दुद्दु" जैसे सूचना-पत्र चर्चाओं को शुरु करने व जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । पिछले कुछ महीनों में लिये गये नये गाँवों को संघ द्वारा चर्चित विषयों की सूचना तुरंत दी जाती है ।

मंडल पंचायत की बैठकों में सहभागिता:

संघ की महिलाएँ व सहयोगिनियाँ बिना चूके के, अपने मंडल पंचायत की मासिक बैठकों में भाग लेती हैं । इससे वे मंडल के कर्तव्य, अधिकार व कार्यविधि को अच्छी तरह समझ सकी हैं ।

कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण:

द्वितीय वार्षिक समैक्य सम्मेलन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 अप्रैल 1991 से 8 अप्रैल 1991 तक हमारे कार्यालय में एक कार्यशाला चलायी गयी । कार्यशाला के सात दिनों को एक-एक दिन करके पुन: याद करना, संवेदनशीलता के साथ गहराई से उसके असर का विश्लेषण करना और मिल-जुलकर रिपोर्ट तैयार करना हमारे लिए अद्वितीय अनुभव था ।

उक्त कार्यशाला के तुरंत बाद एक लेखन-कार्यशाला चलायी गयी । इस कार्यशाला में हम इसके पहले अपने ही द्वारा लिखी गयी मासिक रिपोर्ट आदि का विश्लेषण करके एक अच्छी रिपोर्ट के लक्षणों पर [illegible] से विचार कर सके । हमने विश्लेषण के दौरान चर्चित सिद्धान्तों के आधार पर रिपोर्टों को फिर से लिखा । गाँवों के दैनिक दौरे के आधार पर मासिक रिपोर्ट तैयार करने में होनेवाली समस्याओं, जो कि सहयोगिनियों की प्रधान समस्या है, का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया । पत्रकार शैली के सिद्धान्त, प्रभावपूर्ण सूचना-पत्र कैसे निकाला जाए आदि पर भी विचार किया गया ।

महिला मण्डल सदस्यों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर कार्यशाला मई में चलाई गयी । चर्चाएँ बहुत प्रभावपूर्ण रहीं । सहभागियों की यह माँग कि इस तरह की और कार्यशालाएँ चलायी जाएँ, इस प्रयास के असर का स्पष्ट संकेत हैं ।

सभी तालुकों में मई से सितंबर तक पाँच महा[illegible] प्रशिक्षण कार्यशालाएँ चलायी गयीं जिनके दौरान महिला समैक्य का लक्ष्य, इस लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी भूमिका और कार्य पद्धति पर प्रकाश डाला गया । इन कार्यशालाओं में सदस्यों के बीच खुलापन और बाँटने की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया । महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, महिला शिक्षा, मण्डल में महिलाएँ , संघ का महत्व आदि कार्यशाला के दौरान

चर्चित मुख्य विषय हैं । कार्यशाला के अन्त में महिलाओं ने उनके द्वारा संघ में जो जिम्मेदारियाँ ली जानी हैं उनको पहचान लिया ।

चार पुराने तालुकों से सहायिकाओं के लिए एक कार्यशाला चलायी गयी जिसके दौरान यह चर्चा की गयी कि संघ के मानदेय के रूप में प्राप्त होनेवाली रकम रु.400/- का उपयोग किस प्रकार किया जाए । सहायिकाओं ने इस संबंध में यह निर्णय लिया:

(क) इस मानदेय को संचित किया जाना चाहिए और संघ की आस्ति के रूप में अलग रखा जाना चाहिए ।

(ख) यदि संघ के लिए आवास निर्माण अनुदान अपर्याप्त रहा, तो निर्माण के लिए अनुपूरक निधि के रूप में इस मानदेय का प्रयोग किया जा सकता है ।

(ग) महिलाएँ छोटे-छोटे आय उत्पादनकार्य में इस मानदेय को लगा सकती हैं ।

(घ) संघ के सदस्य जब संघ के काम से बाहर जाते हैं या अन्य जगहों में कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने जाते हैं तो बस के किराये के लिए मानदेय का प्रयोग किया जा सकता है ।

आवास निर्माण के संबंध में लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया-जैसे, रु20 से अधिक खर्चों के लिए 20 पैसे का राजस्व टिकट लगाने की आवश्यकता, स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढंग से रेकार्ड्स रखने की आवश्यकता, निर्माण के दौरान नियमित रूप से खर्चों की जाँच करना चाहिए ।

मैसूर ज़िला रिपोर्ट: —— (3)

संघ के कार्यकलाप:

यह अवधि मौजूदा संघों के बल के समेकन और विकास की अवधि थी । काम में काफी प्रगति हुई है और संघों में महिलाओं के जीवन और काम से संबंधित प्रश्न हमेशा उठाये जाते हैं ।

संघ के लिए आवास:

एच डी कोटे में संघ के आवास निर्माण ने अन्य संघों में भी उत्सुकता और रुचि पैदा की है । इससे कोल्लेगाल, एच डी कोटे, नन्जनगुड, चामराजनगर और हुन्सूर जैसे गाँवों में संघ के आवास के लिए प्लाट ढूँढने से लेकर हर स्तर पर सदस्य रुचि ले रहे हैं । गोरेन्दु (चामराजनगर तालुक) में संघ

की महिलाओं ने मण्डल प्रधान के उदासीनतापूर्ण व्यवहार का खंडन किया है ।

कुछ गाँवों में महिलाएँ स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए क्या कदम लिये जाते हैं इसका पता लगा रही हैं । हेच डी कोटे के शिवपुरा गाँव में गाँववाले संघ के आवास का उद्घाटन करने के लिए तत्पर हैं । संघ के आवास के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का काम कई गाँवों में चालू है । जहाँ प्लाट खरीदने के लिए संघ की निधि कम पड़ रही है, सदस्य अपनी ओर से अंशदान दे रहे हैं । होन्नेनहल्ली में, संघ ने सदस्यों के व्यक्तिगत अंशदान द्वारा एक निजी व्यक्ति से भूमि खरीदने का निर्णय किया है । यद्यपि इसकी वजह से कुछ महिलाओं ने संघ को छोड़ दिया, बाकी सदस्यों ने कहा "यद्यपि हम 10 ही हैं, हम संघ के लिए प्लाट खरीदने के लिए निधि एकत्रित करेंगे ।

कई गाँवों में संघ की महिलाएँ अपने पूर्व पक्ष के संघों का मकान देखकर प्रेरित हो रही हैं । कुप्पेगालहुंडि (हेच डी कोटे) में महिलाएँ संघ के मकान के लिए निर्माण सामग्री लाने के लिए गाड़ी का इन्तज़ाम उत्सुकता के साथ कर रही हैं । इसी तरह बडिगालपुरा में एक महिला ने संघ का मकान बनाने के लिए अपनी तीव्र इच्छा इस प्रकार प्रकट की-"कब तक गलियों में, घरों में अपनी बैठकें बुलानेवाले हैं ? हमें अपने लिए एक जगह चाहिए ।" इस गाँव का संघ अपने पंजीकरण, खाता खोलने और संघ के आलय में काम शुरु करने को तत्पर है ।

संघ की निधि:

संघ की निधि की प्रकृति व प्रयोजन को संघ की महिलाओं को स्पष्ट करने के लिए, सितंबर 1991 में संघ निधि प्रशासन समिति का गठन किया । इस समिति में 2 सहयोगिनियाँ हैं, एक संघ की महिला है और जिला कार्यान्वयन यूनिट से एक महिला है । हर समिति के तहत 30 गाँव आयेंगे । डी पी सी स्थायी सदस्य होगा । जिन संघों को निधि की जरूरत है उन्हें अपना आवेदन इस समिति को [illegible] है, [illegible] निधि मंजूर करने से [illegible] विचार करती है ।

सहयोगिनियों ने संघ के लिए निधि प्राप्त करने के तरीकों पर [illegible] चर्चा की । सदस्य निधि के प्रबन्धन के बारे में काफी कुछ सोच रहे हैं । महिलाओं को ये बातें स्पष्ट हो गयीं कि निधि कैसे प्राप्त की जाती है, सहयोगिनियाँ

द्वारा आवेदन कैसे दिया जाना है, जिन कारणों के लिए किसी खास संघ को निधि नहीं दी जाती । संघ की महिलाओं ने बताया "यद्यपि हमें निधि प्राप्त नहीं होती, फिर भी हम संघ की बैठकें जरूर जारी रखेंगे ।

निधि की मंजूरी के संबंध में संघों से जिला कार्यालय को लगातार पत्र प्राप्त होते रहते हैं । संघ की महिलाएँ ये पत्र अपने से लिख नहीं पातीं । वे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पत्र लिखवाती हैं और अपने अंगूठे का निशान लगाती हैं । सहयोगिनियों का विचार है कि संघ की महिलाओं को साक्षरता के महत्व को समझाने के लिए यह एक अच्छा अवसर है ।

आर्थिक कार्यक्रम:

जयलक्ष्मीपुरा (हेच डी कोटे) में संघ की महिलाएँ बचत योजना चला रहीं हैं । मुगुतनमूले (हेच डी कोटे) के लोग पापड फेक्टरी शुरु करने की योजना बना रहे हैं । तट्टेकेरे, हेग्गनदारु, येम्मेकोप्पालु व कोलगट्टा की महिलाओं ने एस सी एन टी निगम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एस सि एन टि निगम का दौरा किया । बूदिपडगा व कंबिगुड्डेदोड्डि में संघों द्वारा लगाये गये पेड-पौधे सदस्यों द्वारा अच्छी तरह पाले जा रहे हैं ।

शिशुविहार:

जिले में 17 शिशुविहार हैं । रखवालों का कार्य असंतोष जनक होने के कारण इनमें से कुछ ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं । कुछ अन्य गाँवों में संघ के भीतर की समस्याओं के कारण शिशुविहार काम नहीं कर पा रहे हैं । शिशु - विहारों में साक्षरता की आवश्यकता और माँग सभी संघों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्पष्ट हो रही हैं ।

स्वास्थ्य:

विभिन्न संघों की महिलाएँ स्वास्थ्य की समस्याओं पर अधिक जानकारी की माँग कर रही हैं । उदाहरणार्थ नोट्टकेरेयनदी की महिलाएँ (हेच डी कोटे के संघ) केंचुआ संक्रामण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सहयोगिनियों से स्वास्थ्य मेला आयोजित करने का अनुरोध कर रही हैं । केंचुआ संक्रामण गाँव के बच्चों को अक्सर होनेवाली समस्या है । इसी प्रकार 29.11.92 को असंक्रमीकरण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें हुन्सूर तालुक के चार गाँवों के बच्चों

को विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए इलाज दिया गया । कमेनहळ्ळी में बच्चों के त्योहार के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी दी गयी । सहयोगिनियाँ संघ की बैठकों में स्वास्थ्य पर विस्तृत चर्चाएँ शुरु कर रही हैं । इन चर्चाओं के दौरान व्यक्तिगत व पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य की विभिन्न बातुएँ भी सामने आती हैं ।

बैठकें:

संघ की महिलाएँ जिला कार्यालय के अधिकारियों से भेंट कर रही हैं । 6 गाँवों से 25 महिलाओं ने जिले में विभिन्न कार्यालयों का दौरा किया । उन्होने संघ के लिए मकान निर्माण के संबंध में नीर्मिक आर्मि आफिस से निर्माण सामग्री की लागत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की ।

इसी प्रकार संघ की महिलाएँ अपने बीच एकता व्यक्त करने के लिए अन्य गाँवों में स्थित अपने प्रतिपक्षियों से भेंट कर रही हैं और उनकी आन्तरिक समस्याओं के समाधान में सहयोग दे रही हैं । नन्जनगुड तालुक से 32 महिलाओं ने, जिसमें कन्निनूरा से 22 महिलाएँ थीं और कप्पेसागे से 12 महिलाएँ थीं, हुंसूर तालुक में तीन गाँवों का दौरा किया जिनमें होसकोटे नया है । उन्होंने एक गाँव में सहायिका के ठीक तरह से कार्य नहीं करने के बारे में चर्चा की ।

नन्जनगुड जिले के बच्चों ने बेंगलूर में "भीमसंघ" त्योहार में भाग लिया । यह सैर बच्चों को बहुत आनन्ददायी रहा और एक बच्चे ने इस अवसर का फायदा उठाकर सि. डब्लू. सि से प्रश्न किया कि उसका लेख उनके सूचना-पत्र में क्यों शामिल नहीं किया गया । "मानव संसाधन विकास में महिला संस्थाओं को समाविष्ट करने के तरीके व उपाय" पर चलायी गयी संगोष्ठी में संघ की 11 महिलाओं ने भाग लिया । इन महिलाओं ने अपने गाँव जाकर अन्य सहयोगियों से अपना अनुभव बाँटा ।

सभी गाँवों में साप्ताहिक बैठकें चलायी जाती हैं चाहे सहयोगिनी उपस्थित हो पाती हैं या नहीं । इन बैठकों में सूचना-पत्र वितरित किये जाते हैं । एक बैठक में, सहायिकाओं ने विभिन्न गाँवों में हुए बालिका शिशु त्योहार के प्रभावों की चर्चा की । चर्चित विषयों को कार्य रूप देने की आवश्यकता से दल के सभी लोग सर्वसम्मत थे ।

सहयोगिनियों की बैठकें:

मासिक सहयोगिनी बैठक चलायी गयी जिसके दौरान दल ने रिपोर्ट लिखने की दक्षता में सुधार, गाँवों से प्राप्त किये गये साक्षरता आंकडे आदि पर विचार किया। दल का विचार था कि साक्षरता का मतलब सिर्फ लिखने पढनेवाले लोगों की संख्या नहीं, उनकी क्षमता में विकास और सुधार की दृष्टि से साक्षरता को आंका जाना चाहिए। इस बैठक के दौरान दल ने कार्यक्रम के असर को और अधिक करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके पर विचार किया। प्रभावपूर्ण तरीका निकालने के लिए निम्न लिखित कदम आवश्यक पाये गये:

(क) प्रायोजना

(ख) जानकारी प्राप्त करना

(ग) उपलब्ध संसाधन का उपयोग करना

(घ) कर्तव्य को पहचानना

(च) सच्चा प्रयत्न और काम मे रुचि।

दल ने निर्णय किया है कि दल को और मजबूत और प्रभावपूर्ण बनाने के संबंध में चर्चा करने के लिए सहयोगिनियों की बैठक को मंच बनाया जाएगा। सहयोगिनियों ने अपने को विभिन्न दलों में बाँट लिया है। ये विभिन्न दल विभिन्न काम की जिम्मेदारी लेंगे : जैसे रिपोर्टिंग, यात्रा बिल वसूली आदि।

सहायिका मेला:

पुनरीक्षण मिशन के जिला दौरा के समय सहायिका मेले का आयोजन किया गया। सहयोगिनियों ने महसूस किया कि इस मेले से पुनरीक्षण मिशन, संघ की महिलाओं से मिलकर विचार विमर्श कर सकेगा और संघ की कार्य-पद्धति पर विहंगम दृष्टि डाल सकेगा। 3-4 सहयोगिनियों ने मेले के इन्तजाम की जिम्मेदारी ली। सहायिकाओं ने बडी संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने महिला समैक्य के कार्य और कार्य-पद्धति को दर्शानेवाले नाटकों का आयोजन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने-अपने संघों की कार्य-प्रणाली के बारे में भी बताया। संघ के लिए मकान व संघ की निधि के उपयोग पर चर्चा की गयी। जो संघ इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनसे अपना अनुभव दूसरों के साथ बाँटने का अनुरोध किया गया। मेहमान श्रीमती कुमुद शर्मा, और कु. केरोलिन (पुनरीक्षण मिशन के सदस्य) ने अपना परिचय दिया और यथासंभव मेले में भाग लिया। चूँकि भाषा की समस्या थी अनुवादकों की जरूरत पडी। हुन्सूर से कुछ महिलाओं ने

इतने बडे मेले में पहली बार भाग लिया था । उन्होंने कहा "हमें गर्व है कि इतनी छोटी उम्र में हमें इतना अनुभव मिल रहा है ।

सहायिका प्रशिक्षण:

पेरियपट्णा तालुक के अल्लडक्ट्टे गाँव में सितंबर 18 व 19 को एक सहायिका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । सहायिकाओं के कर्तव्य और संघ की धारणा पर विश्लेषण किया गया ।

अस्ट्रा स्टोव के निर्माण पर प्रशिक्षण:

अस्ट्रा स्टोव के उपयोग व असर का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद सहयोगिनियों द्वारा अनुवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया । दल ने स्टव बनाने की कला में अपने को प्रशिक्षित कराने की इच्छा प्रकट की । जिला परिषद के श्री अली और श्री शिवकुमार (केएससिएसटि) द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । श्री विजय पदाकी, श्री एस.रगानाथ (आस्ट्रा) व श्री लोकरस कार्यक्रम के समन्वयकर्ता थे । प्रशिक्षण हेग्गेडेहल्ली गाँव में चलाया गया जहाँ संघ के साथ चर्चा की गयी थी और स्टव के निर्माण के लिए अनुमति दी गयी थी ।

गाँववालों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल दिये और बाकी प्रशिक्षकों द्वारा लाये गये । सबने इस प्रक्रिया को सीखने में [illegible] । महिलाओं ने स्वयं घर में इस स्टोव के [illegible] और संघ की व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रशंसनीय रहा । हेग्गेडेहल्ली में [illegible] घरों में अब अस्ट्रा स्टव है । यह निर्णय किया गया कि अनुवर्तन के रूप में अन्य गाँवों की महिलाओं से इस नव-निर्मित स्टव को देखने का अनुरोध किया जाए ।

मण्डल-पंचायत व जिला परिषद पर हुई कार्यशाला में संघ की कुछ महिलाओं को मिलाकर 23 लोगों ने भाग लिया । मण्डल पंचायत की महिला सदस्याओं ने भी भाग लिया । कार्यशाला में मण्डल पंचायत व जिला परिषद के गठन पर प्रकाश डाला गया और ग्राम सभा के [illegible] पर भी प्रकाश डाला गया । [illegible] कार्यशाला श्री एस. डब्ल्यू. पिंटो द्वारा चलायी गयी ।

4.12.91 से 6.12.91 तक अनुसंधान पद्धति पर भी एक कार्यशाला आयोजित की गयी । डी आर यू दल, महिला समाख्या के छे सदस्य व एस आर सी से एक प्रतिनिध ने कार्यशाला में भाग लिया । कार्य[illegible] राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा चलायी गयी ।

महिला शिक्षण केंद्र:

सहयोगिनियों ने अपने गाँवों में ऐसी कई लड़कियों का पता लगाया है जो अवसर के अभाव के कारण अपनी शिक्षा को जारी नहीं कर सकीं । अतः यह महसूस किया गया कि महिला शिक्षण केन्द्र शुरु किया जाए । गलत प्रायोजना की वजह से प्रथम प्रयास असफल हो गया । नन्जनगुड के एक संघ की महिला की भावपूर्ण प्रतिक्रिया थी "जब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, वे हमारे बच्चे कहलाना नहीं चाहते, ऐसा कहने में उनको शरम आती है । वे हमें तुच्छ समझते हैं ।" अतः दल ने निर्णय किया कि महिला शिक्षण केंद्र का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे मिथ्या मूल्यों का प्रचार न हो ।

कुद्दुवाडि भूमि मामला:

संघ की बैठकों में कुद्दुवाडि धरना की विस्तृत चर्चा की गयी है । 26.8.91 को जिला परिषद कार्यालय के सामने धरना करने का निर्णय किया गया । सहयोगिनियों ने मामले को स्पष्ट करने में सहयोग दिया । 13.8.91 को हुई बैठक में एक पत्रकार भी उपस्थित थे । सहयोगिनियों और जिला समन्वयकर्ता ने मामले पर चर्चा की और निश्चय किया कि धरना से संबंधित जिम्मेदारियाँ लोगों द्वारा ली जानी चाहिए । सभी संघों, जिला परिषदों व पुलिस को धरना के संबंध में काफी पहले ही सूचित किया गया । कुद्दुवाडि संघ की शिक्षित महिलाओं ने संबंधित व्यक्तियों को पत्र लिखकर उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी ।

धरना के सहभागियों ने ज़िला परिषद कार्यालय के सामने मौन मार्च में परेड किया । दल के तीन प्रतिनिधियों ने ज़िला परिषद अधिकारी से दल के सामने भाषण देने का अनुरोध किया । कुछ महिलाओं ने निडर होकर अपनी समस्याओं और माँगों को परिषद अधिकारी के सामने रखा । ज़िला परिषद अधिकारी ने सभी संभव सहायता देने का वचन दिया और आश्वासन दिया कि वे अगले हफ्ते कुद्दुवाडि गाँव का दौरा करेंगे । लोगों ने उनसे दौरे के लिए एक निश्चित तारीख की माँग की और जब तक उन्होंने निश्चित समय नहीं दिया तब तक उन्हें नहीं छोड़ा। संघ की महिलाओं, सहयोगिनियों व डी पी यू की संयुक्त बैठक में आगे की कार्रवाई की दिशा के बारे में चर्चा की गयी । जिला परिषद अधिकारी के दौरे की सूचना अन्य संघों को देने के लिए एक पैम्फलेट परिचालित करने का निश्चय किया गया । 4 सितंबर को जिला परिषद अधिकारी ने कुद्दुवाडि का दौरा करके एकत्रित महिलाओं को संबोधित किया । राजस्व निरीक्षक, ग्राम लेखाकार और जनजातीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे ।

यद्यपि प्रतिवादी के बेटे ने संघ द्वारा किये गये सभी आरोपों का खण्डन करने का प्रयत्न किया, उसे दल के संचित बल के सामने हार मानना पड़ा ।

विस्तार कार्य:

हुन्सूर व पेरियपट्णा तालुकों में नये गाँव को पहचाना गया है । कुछ गाँवों में संघ की बैठकों के लिए केवल 5-10 महिलाएँ एकत्रित होती हैं । अन्य कुछ गाँवों में महिलाएँ अपने घर से बाहर निकलने से भी डरती हैं । सहयोगिनियों को गाँव की महिलाओं से संपर्क स्थापित करने में ही बहुत समय बिताना पड़ा । बहरहाल, नन्जनगुड के कप्पसागे व कुरशुंडी जैसे गाँवों की महिलाओं की माँग है कि यह कार्यक्रम उनके गाँवों में भी शुरू किया जाए। होसकोटे गाँव की महिलाओं ने संघ बनाने में बहुत रुचि और उत्साह दिखाया है । कुछ क्षेत्रों में महिला संघ के साथ, आदमी, अंबेडकर संघ बना रहे हैं ।

शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना:

सूचना-पत्रों की बढ़ती हुई भूमिका:

एक खास जिले के विभिन्न गाँवों की सहयोगिनियाँ व संघ की महिलाएँ "सोल्लु" सूचना-पत्र निकालने में लगी हुई हैं । इस सूचना-पत्र में स्वास्थ्य, कविताएँ, छोटी-छोटी कहानियाँ आदि जगह पाती हैं । और सूचना-पत्रों की माँग की जा रही है और सूचना-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को सीखने में रुचि दर्शायी जा रही है । कुट्टीवाडि धरना के प्रथम पृष्ठ के फोटोग्राफ को देखकर एक महिला ने भावपूर्ण होकर कहा " हम वही पुरानी औरतें नहीं हैं जो अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती थीं ।" धरना की तस्वीर में कई महिलाओं की उपस्थिति संघों में आश्चर्यजनक बात हो गयी है ।

मगलु दोड्डवालड्लु:

"मगलु दोड्डवालड्लु" पुस्तिका गाँववालों द्वारा बहुत पसंद की जाती है । उसकी प्रतिक्रियाएँ बहुत रोचक हैं । यद्यपि सहयोगिनी ने इस किताब को स्वीकार करने के लिए गाँववालों को बहुत समझाया था, शुरू-शुरू में महिलाएँ लज्जित और शर्मिंदा होती थीं । यद्यपि उन्होंने तस्वीरों की तारीफ की, उन्हें आश्चर्य होता था कि ऐसी तस्वीरें कैसे बनायी जा सकती हैं ?
संघ की महिला ने समझाया-"तस्वीरों से अर्थग्रहण आसानी से होता है" । सहयोगिनियों ने रिपोर्ट किया है कि इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद महिलाएँ इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य के बारे में और सावधान बन गयी हैं ।

संघ की एक महिला कुल्लम्मा ने कहा "उसे खुशी है कि महिलाओं के लिए एक विशेष पत्रिका निकाली गयी है ।"

साक्षरता:

कई संघों ने साक्षरता की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है । बहरहाल उनकी इस मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया है । इस का विचार है कि लोगों की इस मांग को पूरा करना और उनकी इस इच्छा को प्रोत्साहित करना संघों का मुख्य कर्तव्य है । संघों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने ही बीच उपस्थित उन सदस्यों का पता लगाएँ जो शिक्षण का काम कर सकेंगे ।

"कोडगु मित्र","भोम्मा" व "आरोग्यनामी" जैसे सूचना-पत्रों ने लोगों के बीच और अधिक सीखने की रुचि पैदा की है । नये क्षेत्रों में इन सूचना-पत्रों और अन्य नये सूचना-पत्रों का प्रयोग, महिलाओं से संपर्क व घनिष्ठता स्थापित करने के लिए किया जा रहा है ।

बालिका शिशु त्योहार:

कई गाँवों में बच्चों के त्योहार, विशेषकर बालिकाओं के लिए त्योहार का आयोजन किया गया । महिलाओं को अधिकार दिया जाने के संबंध में नारे सहित जुलूस, नृत्य व चित्रकारी आदि इन त्योहारों के मुख्य विषय थे । कुछ गाँवों में उच्च जाति के बच्चों ने भी त्योहार में भाग लिया और संघ की महिलाओं ने उनका स्वागत किया । बच्चों के स्वास्थ्य और रोगों के संबंध में जानकारी देने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया गया । इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गाँववालों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया ।

गुलबर्गा जिला रिपोर्ट: —(5)

जाथा [महिलाओं की स्थिति व शिक्षा की भूमिका को दर्शानेवाले गली के नाटकों द्वारा] द्वारा गुलबर्गा में कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया । जेवार्गी और चिंचोली तालुकों में जाथा का आयोजन किया गया जिसके तहत 54 गाँव आते हैं । महिलाओं की सहभागिता और लगन सराहनीय रहीं । पुराने जिलों से सहयोगिनियों, संघ की महिलाओं व डी आइ यू स्टाफ ने जाथा की प्रायोजना व अभिनय में भाग लिया । दिसंबर 91 में काम पूर्ण उत्साह के साथ शुरु हुआ जब 9 महिलाओं ने गुलबर्गा, चिंचोली, चिंचोली ताण्डा व जेवार्गी तालुकों के 35 गाँवों को अपने कार्यक्रम के तहत लाने का

प्रयत्न किया ।

विभिन्न गाँवों के आदमियों और औरतों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट हुआ कि जाथा का जोरदार असर पडा है और कार्यक्रम के लिए पहचान प्राप्त हुआ है । कई गाँवों में महिलाएँ सहयोगिनियों से पूछने लगीं कि वे जाथा के बाद दिये गये वचन के अनुसार एक महीने तक उनके गाँव में क्यों नहीं आयीं ? उनका कहना था - "हम भी एक संघ बनाना चाहते हैं ।" उन्होंने सहयोगिनियों से नियमित रूप से गाँव में आने का अनुरोध किया । कुछ अन्य गाँवों में सहयोगिनियाँ "नाटक लोग" के रूप में पहचानी गयीं और उनका हार्दिक स्वागत किया गया । कुछ अन्य गाँवों में प्रतिक्रिया नकारात्मक रही वहाँ महिलाएँ सहयोगिनियों से विद्वेषपूर्ण व्यवहार करने लगीं और ऋण और पैसे की माँग करने लगीं । औराद में कुछ महिलाएँ पूछने लगीं "यदि आप पैसे नहीं देंगे तो हम कैसे निकट आ सकते हैं ?" बहरहाल सहयोगिनियों ने इसी मौके का फायदा उठाकर उनको संघ का निर्माण करके उनके अपने जीवन से संबंधित मामलों को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया ।

सहयोगिनियाँ, संघ की महिलाओं से मिलकर गाँवों की समस्याओं को पहचानने का प्रयत्न कर रही हैं । पेयजल की कमी, विधवाओं का पेंशन, कुओं की मरम्मत, स्कूलों की अनियमितता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाडी आदि का कुप्रबन्धन प्रमुख समस्याएँ थीं ।

साक्षरता:

यद्यपि गुलबर्गा, कार्यक्रम के तहत काफी नया जिला है और उतना सशक्त नहीं है, फिर भी साक्षरता की माँग बहुत जल्दी उठी है और बहुत जोरदार है । कई संघ, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों के कुप्रबन्धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं और सहयोगिनियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन्हें पढाने लिखाने की जिम्मेदारी लें । उमकुंटा में महिलाएँ चर्चा कर रही हैं कि जाथा ने किस प्रकार उन्हें चिकित्सा-प्रणाली के अत्याचारों के प्रति जागरूक बनाया है । इससे वे स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टरों से अब प्रश्न पूछने लगी हैं और माँग कर रही हैं कि उन्हें उचित इलाज दी जाए ।

यह आश्चर्य की बात है कि आदमी लोग इन गाँवों की औरतों को साक्षर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं । दल की इच्छा है कि लोगों की यह रुचि

स्थिर होनी चाहिए । इसलिए वे महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए प्रशिक्षकों को ढूँढने के काम में तीव्रता से उभरे हुए हैं । भविष्य की अपेक्षाओं के आधार पर उनके लिए साक्षरता कार्यशाला चलाने का निर्णय किया गया है ।

जाथा द्वारा गुलबर्गा में कार्यक्रम का प्रारंभ हमारे लिए एक विलक्षण अनुभव रहा है । जाथा द्वारा कार्यक्रम को जो पहचान मिला है उसके आधार पर सहयोगिनियाँ गाँव की महिलाओं से संपर्क स्थापित करने में सफल हो सकी हैं ।

रायचूर जिला रिपोर्ट:

जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता व संसाधन व्यक्ति के चयन के साथ जनवरी 1992 में रायचूर जिले में कार्यान्वयन इकाई स्थापित की गयी । पहले ही कुछ सहयोगिनियों का चयन कर गुलबर्गा यूनिट में रखा गया था । यह निर्णय किया गया कि रायचूर में महिला समैक्य कार्यक्रम का प्रारंभ फरवरी 1992 में एक जाथा द्वारा किया जाएगा । बहरहाल तैयारी व प्रायोजना के लिए समय के अभाव के कारण यह कार्यान्वित नहीं हो सका । यह भी महसूस किया गया कि चूँकि साक्षरता आन्दोलन जाथा इन गाँवों के लिए मुख्य आम विषय है, कार्यक्रम की विलक्षणता को समझने में त्रुटि हो सकती है । मार्च 1992 में गंभीरता के साथ काम शुरू किया गया । कुस्तगी तालुक के 30 गाँवों का दौरा किया गया । दल का विचार था कि इनमें से 18 गाँव जो बहुत पिछडे हुए हैं और उन्हीं को कार्यक्रम की सेवाओं की ज़रूरत है । 5 सहयोगिनियों ने इन गाँवों की सेवा की ज़िम्मेदारी ली है । एक-एक सहयोगिनी की सेवा के तहत 5-6 गाँव आते हैं । बैठकों और चर्चाओं के द्वारा दल ने उन प्रमुख क्षेत्रों को पहचानने का प्रयत्न शुरू किया है जहाँ संघ की महिला और ज़िला कार्यान्वयन इकाई प्रशिक्षण को आवश्यक समझते हैं ।

महिलाओं से संपर्क स्थापित करने के लिए और कार्यक्रम के प्रारंभ को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए गाँवों में ग्राम सभा बैठकें आयोजित करने का विचार किया गया है ।

. . . .

माधवन एंड त्रिनाथ
चार्टर्ड एकौंटेंट

32/1, प्रथम तल, तृतीय क्रास
आगा अब्बास अली रोड,
बंगलौर - 560 042,
दूरभाष : 567132

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने समाख्या कर्नाटक के 31 मार्च 1992 तक के संलग्न तुलन पत्र और समाप्त वर्ष के लिए सोसाइटी के आय और व्यय के लिखों की लेखा परीक्षा कर ली है जिसकी रिपोर्ट इस प्रकार है :-

2. क) उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये गये जो हमारी जानकारी और विश्वास लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख) लेखा बाहयों की जांच के बाद हमारी राय है कि सोसायटी ने लेखा बहियों को उचित रूप से सुरक्षित रखा है।

ग) इस रिपार्ट मे संदर्भित तुलन पत्र तथा आय और व्यय विवरण लेखा बहियों मे दर्शाये गए विवरण के अनुरूप ही है।

घ) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के बाद हमारी राय है कि उक्त लेखे उपयुक्त हमारी टिप्पणियों के अनुसार निम्न के संबंध में सत्य और निष्पक्ष है।

1) 31 मार्च, 1992 तक सोसायटी की कार्य स्थिति के तुलन पत्र के मामले में।

2) इसी तारीख को समाप्त होनेवाली अवधि मे आय से अधिक व्यय के संबंध में आय और व्यय के लेखे के मामले में।

स्थान: बंगलौर
दिनांक: 10 सितम्बर, 1992

माधवन एंड त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाउंटेंट

माधवन बंड त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाउंटेंट

32/1, प्रथम तल, तृतीय क्रास
आग अब्बास अली रोड,
बंगलौर - 560 042.
दूरभाष : 567132

महिला समाख्या - कर्नाटक

टिप्पणियाँ :

1. अचल सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास की गणना की गई है और आयकर अधिनियम के अर्न्तगा निर्धारित दरों पर उन्हे लेखाओं मे दर्शाया गया है।

2. सोसाइटी व्यापारिक आधार पर अपने कांकडे सुरक्षित रखती है।

3. पूर्ववर्ती वर्षा के आंकडों को चालू वर्ष के आंकडों से तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कही आवश्यक समझ गया उन्हें नए सिरे से तैयार किया गया है।

माधवन आ एंड त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

महिला समाख्या-कर्नाटक

31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

व्यय	
स्टाफ के वेतन के लिए	9, 71, 219-45
स्टाफ के छंट्टी के भुगतान के लिए	-
स्टाफ के चिकित्सा खर्च की अदायगी के लिए	8, 131-70
भुगतान किए गए किराये के लिए	1, 79, 219-35
शुल्क और मानदेय के लिए	51, 677-00
वाहन मरम्मत और रख रखाव के लिए	2, 31, 289-16
डाक खर्च, तार और टेलीफोन के लिए	1, 28, 681-55
मुद्रण और लेखन सामग्री के लिए	52, 309-45
पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	58, 780-80
यात्रा और वाहन खर्च के लिए	3, 094-90
स्थानीय वाहन खर्च	2, 08, 632-60
विद्युत और जल खर्च के लिए	13, 500-05
विज्ञापन खर्च के लिए	-
दलाली-कार्यालय परिसर के लिए	-
बैंक प्रभार के लिए	2, 696-20
बैंक कर्ज पर दिये जानेवाले ब्याज के लिए	1, 506-90
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	3, 500-00
विविध खर्च	76, 636-85
कार्य कलाप खर्च के लिए	
प्रशिक्षण और प्रलेखन	3, 32, 691-49
कार्यशालाओं, बैठकों और सेमिनारों के लिए	5, 00, 778-82
सहायता सेवा	5, 558-50
बाल अनुरक्षण सुविधा	3, 11, 937-50
सहायता सेवा और सामाजिक प्रयोग	14, 211-85
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	-

...2.

कार्यक्रम का शुरूवात	40,498-10
सहयोगिनियों के सर्व के लिए:	
वेतन	4,87,912-16
लेखन सामग्री और पुस्तके	39,835-65
आकस्मिक खर्च	9,290-10
महिला संघः	
मानदेय	12,92,800-00
लेखन सामग्री और आकस्मिक खर्च	39,029-50
कटी निर्माण	4,43,000-00
पुस्तकें और शैक्षिक सामग्री	3,81,880-30
दरी डैस्क आदि	40,575-00

... P.T.O

माधवन एंड त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाउंटेंट

32/1, प्रथम तल, तृतीय क्रास
आगा अब्बास अली रोड,
बेंगलोर - 560 042

प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के लिए:	
- वेतन	8,600-00
- प्रशिक्षण खर्च	-
- आकस्मिक खर्च	1,797-50
- महिला शिक्षण केन्द्र:	
वेतन	1,200-00
किराया	20,000-00
आकस्मिक खर्च	16,157-55
जिला संसाधन इकाई के लिए :	
ऐक्या को अनुदान	3,79,000-00
महिला समाख्या पर चित्र	93,693-80
साहित्य सामग्री का प्रकाशन	2,16,368-10
बाहिया समवर्ती मौल्यांकन	25,687-65
पुस्तक के लिए :	-
वाहन	1,95,080-00
कार्यालय उपस्कर	73,493-00
फर्नीचर और फिक्स्चर	6,290-00
संगणक	17,969-15
	69,86,211-58

हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

हस्ता0
माधवन एवं त्रिनाद
चार्टर्ड एकाउंटेंट

कृते महिला समाख्या-कर्नाटक

हस्ता0
राज्य कार्यक्रम निर्देशक

बेंगलोर
दिनांक: 10-9-92

माधवन एंड त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाउंटेंट

32/1, प्रथम तल, तृतीय क्रास,
आगा अब्बास अली रोड,
बेंगलोर - 560 042

आय

ब्याज से प्राप्त:

बैंकों मे जमा राशी पर	4,09,270-90
बचत बैंक खातों से	98,086-05
विविध आय	3,361-00
आय से अधिक हुआ व्यय	64,75,493-65
	69,86,211-58

माधवन और त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

महिला समाख्या, कर्नाटक
31 मार्च 1992 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

देयताएं		
<u>पूंजीगत निधि:</u>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	60,37,601-40	
जोड़: अनुदान प्राप्त	75,00,000-00	
	1,35,37,601-40	
बैंकों से ऋण कम लिया गया: वर्ष के दौरान आय से	64,75,493-63	70,62,107-77
बैंकों से ऋण	-	
<u>विविध ऋणदाता:</u>		
खर्च के लिए	30,757-90	
अन्य देयताएं	-	30,757-90
		70,92,865-67

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ह0/-
माधवन और त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

बेंगलोर
दिनांक: 10-9-92

माधवन और त्रिनाथ
चार्टर्ड एकाऊन्टेंट

32/1, प्रथम तल, तृतीय क्रास,
आगा अब्बास अली रोड,
बेंगलोर - 560 042

परिसम्पत्तियाँ

अचल परिसम्पत्तियाँ:

वाहन:		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,39,212-00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	5,51,385-00	
	8,90,597-00	
कम किया गया: मूल्य ह्रास	1,95,080-00	6,95,517-00
कार्यालय उपस्कर:		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,25,327-00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,68,644-00	
	2,93,971-00	
कम किया गया: मूल्य ह्रास	73,493-00	2,20,478-00
संगणक:		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	25,159-00	
कम किया गया: मूल्य ह्रास	6,290-00	18,869-00
फर्नीचर और फिक्स्चर:		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,04,656-00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	75,039-15	
	1,79,695-15	
कम किया गया मूल्य ह्रास	17,969-15	1,61,726-00

...2.

चालू परिसम्पत्तियां ऋण और अग्रीम धनराशियां :

क. नकद और बैंक शेष:

नकद	52,075-63	
अनुसूचित बैंकों के बचत खातों में	14,11,767-04	
		14,63,842-67

ख. अग्रीम धन राशियां: जमा

अग्रीम धनराशियां	14,940-10	
जमा धनराशियों पर प्राप्त ब्याज	7,048-90	
पूर्व भुगतान किये गए खर्च	9,916-10	
		31,905-00
जमा:		
अनुसूचित बैंको में	42,94,091-00	
कावेरी ग्रामीण बैंक में	25,000-00	
अन्यों में	1,81,437-00	
		45,00,528-00
	टोटल	70,92,865-67

कृते, महिला समाख्या - कर्नाटक

ह0/-

राज्य कार्यक्रम निर्देशक